कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्जीव प्रभाग शाहजहाँपुर।

पत्रांक 2084 /14-1 शाहजहाँपुर दिनांक 24/12/22

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव बरेली वृत्त बरेली।

विषयः– जनपद शाहजहाँपुर में एन0एच0–30 (किमी0 294.315 से किमी0 325.00) एन0एच0–30 (किमी0 325.00 से किमी0 341.00 तक) लगभग 42.905 किमी0 तथा एन0एच0–731 (किमी0 82.810 से किमी0 114.265 तक) जी0आई0सी0 से अटसलिया फाटक पी0 डब्लू डी0 रोड 3.80 किमी0 शाहजहाँपुर रोड पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.0945 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में (प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/पाईपलाइन/149929/2021)

सन्दर्भः– सचिव उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्रांक– भा0स0 96/81–2– 2022–800(247)/2022 दिनांक 14–09–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के कम में विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तो पर चाही गयी अनुपालन आख्या चार प्रतियों में मय पेन ड्राइव सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

कम सं0	शर्त सं0	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। **(संलग्नक–1)**
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA funds only through e-portal.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–2)**
3	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by wsay of prescribed certificate from the concerned Distirct Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या–03 के कम में Complete compliance of the FRA. 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4	User Agency shall obtain Enviromental Clearance as per the provision of the Enviromental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि परियोजना में पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नहीं है। संलग्नक-4
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Cental Government.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। **(संलग्नक–5)**
6	No labour camps shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा। **(संलग्नक–6)**
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user Agency to the labourer after purchasing the same from the State forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि उ0 प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक श्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन कय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेंगे। **(संलग्नक–7)**

8	The period of diversion under this approval shall be co-termiuns with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। **(संलग्नक–8)**
9	The forest land propsed to be diverted shall under no circumtances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt, of India.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा मे किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा। **(संलग्नक–9)**
10	Violation of any of these condition will amut to violation of Forest (Coservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.N-11-42/2017-FC dt 29/01/2018	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नही करेगा यदि उल्लंघन यिा गया तो MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017/FC dt. 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी। **(संलग्नक–10)**
11	Any other condition that the ministry of Enviroment, Forests & CLIMATE Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्ते लगायी जायेंगी। उसका अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–11)**
12	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी। **(संलग्नक–12)**
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगी। **(संलग्नक–13)**
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी। **(संलग्नक–14)**
15	प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो। **(संलग्नक–15)**
16	प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। **(संलग्नक–16)**
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित समहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित समहमति दी जायेगी। **(संलग्नक–17)**

18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायगी। **(संलग्नक–18)**
19	भूमि का सरफेस राइटस (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि भूमि का सरफेस राइटस (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। **(संलग्नक–19)**
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रदेश में किसी एक स्थान के सम्बंध में जनपद बदायूँ में 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–20)**
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है। **(संलग्नक–21)**
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो। **(संलग्नक–22)**
23	भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र सं0–. J-11013/41/2006-IA-ii (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया है।	शर्त सं0–23 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र पर यह प्रमाण–पत्र लागू नही होता है।
24	यदि प्रशनगम भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की पटरी सेन्चुरी/नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है। इस सम्बंध में वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के पेंज सं0–45 पर संलग्न है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–09/98 –एफसी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–09/98 –एफसी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है जो कि प्रस्ताव के पेंज सं0–22 पर संलग्न है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है। जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण–पत्र वांछित नहीं है। इस सम्बध में वांछित प्रमाण–पत्र प्रताव के पेंज सं0–48 पर संलग्न है।
27	नोडल अधकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह से जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	शर्त सं0–27 में दिये गये निर्देशानुसार वन विभाग द्वार समय–समय पर मानीटरिंग की जायेगी।

28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति) / फाना संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति) / फाना संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेगें। **(संलग्नक–23)**
29	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य परियोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। **(संलग्नक–24)**
30	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त सं0–30 के क्रम में कार्यदायी संस्था का बचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–25)**
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन सं0–(सिविल)202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या– 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3 / 2007 एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06–01–2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensartory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	समस्त निधियां कैम्पा फण्ड में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–2) के अनुसार।**
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से अच्छादित होने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0–32 के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–26)**
33	प्रश्नगत विधिवत स्वीकृत मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी की रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक / नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	प्रभाग से वांछित नहीं है।

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीप प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक /14-1 **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ

2:– प्रबंधक परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 शहरी गैर वितरण परियोजना, यू0पी0 एण्ड यू0के0 क्लस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल महालक्ष्मी टावर्स 112 सिविल लाइन बरेली।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीप प्रभाग,
शाहजहांपुर।

संलग्न 1

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 01

शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि वन भुमि की वैधानिक स्थिति मे उनके द्वारा कोई परिर्वतन नही किया जायेगा ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Project
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न-2

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 02

शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/149929/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/149929/2021) City Gas Distribution Project in Shahjahanpur District of Uttar Pradesh State	PIPELINE1499292021719	72149929719	14 Sep 2022	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3921630/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3921630/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Oct 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 11 Oct 2022 Transaction Date : 18 Oct 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/081020221355262146_FPUPPipeline1499292021_User_Fund_Demanded_22364.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1499292021719)
2	FP/UP/Pipeline/115393/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/115393/2020) Forest Land Proposed to be diverted for laying of 4", 6", 8", 10" dia steel gas pipeline along Budaun-Wazirganj Road (SH-43) from Ch. 81.36 to 101.86 and in Distt-Budaun	PIPELINE1153932020504	72115393504	26 Oct 2021	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1079897/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1079897/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 25 Aug 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 26 Aug 2022 Transaction Date : 29 Aug 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/240820221631207166_FPUPPipeline1153932020_User_Fund_Demanded_45540.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1153932020504)
3	FP/UP/Pipeline/115789/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/115789/2020) Forest Land Proposed to be diverted for laying of 4", 6", 8", 10" dia steel gas pipeline along Bareilly Mod to Pakka Pul from Ch. 0.00 to 4.00, Bareilly Mod-Pipraula Ahmadpur SH-29 from Ch. 469.0	PIPELINE1157892020138	72115789138	04 Aug 2021	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 413160/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 413160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Nov 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Nov 2021 Transaction Date : 23 Nov 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151120211241263990_FPUPPipeline1157892020_User_Fund_Demanded_8C746.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1157892020138)

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

2/2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-10-2022

Agency Name.	**Hindustan Petroleum Corporation Limited**
Application No.	**72149929719**
State Code.	**UP**
Address.	**SA 72/29, First Floor, DD PuramBareilly**
Amount(in Rs)	**3921630/-**

Amount In Words :Thirty-Nine Lakh Twenty-One Thousand Six Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTAR PRADESH CAMPA**
Pay to Account No.	**CAMPAUP72149929719**
Bank Name & Address:	**Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003**
IFSC Code:	**UBIN0996335**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-10-2022

Agency Name.	**Hindustan Petroleum Corporation Limited**
Application No.	**72149929719**
State Code.	**UP**
Address:	**SA 72/29, First Floor, DD Puram Bareilly**
Amount(in Rs)	**3921630/-**

Amount In Words :Thirty-Nine Lakh Twenty-One Thousand Six Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTAR PRADESH CAMPA**
Pay to Account No.	**CAMPAUP72149929719**
Bank Name & Address:	**Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003**
IFSC Code:	**UBIN0996335**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न-3

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 03

शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न है|

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

3/1

FORM-1

(For Plantation on non-Forest and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and Located in villages having no recorded scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census.)

[Rule 6(3) of Forest (conservation) Rule 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Magistrate Shahjahanpur

No. HPCL/CGD/GA-SB/144 Dated 13/12/22

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 [as amended vide the forest (Conservation) second amended Rules 2014, and forest (Conservation) It is certified that hectares of protected forest land proposed to be diverted (Only for "right of use " without any change in ownership and legal status of the forest land) in the favour of Laying of **Hindustan Petroleum Corporation Limited "for Laying of Gas Pipeline along NH 30(from Ch.294.315 to 325.000 at RHS), NH 30(from Ch. 325.000 to 341.000 at LHS), NH-731 (from Ch. 82.810 to 114.265 at RHS) & GIC to Atsaliya Phatak PWD Road of 3.800 Km Approx 74.445 Km** in the District Shahjahanpur fall within the jurisdiction of Shahjahanpur District Village(s) & Tahsil Tilhar, Puwayan and Shahjahanpur sadar having no recoded population of scheduled Tribes as per census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely 1. NH 30(from Ch.294.315 to 325.000 at RHS), NH 30(from Ch. 325.000 to 341.000 at LHS), NH-731 (from Ch. 82.810 to 114.265 at RHS) & GIC to Atsaliya Phatak PWD Road involved in the above villages are Plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification No. 1115/XIV-331-50 dated 10-02-1960,3208/XIV dated 23 August 1955.

(b) Therefore, these PFs neither having residing scheduled tribes nor have other traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under forest Right Acts ,2006.

District Collector /Magistrate
Shahjahanpur
जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न ५

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 04

शर्त संख्या-4 ,के अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली को पर्यावरण अनुमति की आवश्कता नहीं है [redacted]।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 5

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 05

शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान मे कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(प्रकाश गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्नक

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 06

शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Project

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

अलग्न 7

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 07

शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकडी/वैकल्पिक ईधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Project
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 8

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 08

शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

सलग्न 9

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 09

शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भुमि का किसी भी दशा मै किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager-Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रकाश गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं अन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न०

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 10

शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नही करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न ।।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 11

शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्ते लगायी जायेगी,उसका अनुपालन किया जायेगा।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager-Projects

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

स्लाग 12

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 12

शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
General Manager - Projects

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 13

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बार्यी तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 13

शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 14

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 14

शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौडाई 1.00 मी0 से अधिक नही होगी ।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 15

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 15

शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 14

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 16

शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 17

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 17

शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 18

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 18

शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

स्लग्न 8

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 19

शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न २०

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 20

शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ0 प्र0 शासन पत्र सी0 जी0 आइ0 -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदाँयू में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षरोप्ण कराये जाने हेतु रु0 15730000/- को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदाँयू में जमा करा दिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

सं 2011

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं ।

पत्रांक 1511 /29–1 दिनांक 31 दिसम्बर / 2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 और यू0के0 कलस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषयः– पी0एन0जी0 गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 1036 / 5–1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी0डी0 संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 मु0 15730000/– (मु0 एक करोड सत्तावन लाख तीस हजार रू0 मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं ।

पत्रांक /5–1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482 / 14–1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं ।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAN
उप महाप्र
Deputy

सचिन वर्मा
SACHIN VERMA
वरि0 प्रबन्धक–परियोजना
Sr. Manager-Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 21

शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
Project Implementation Unit, Bareilly
26, ग्रीन पार्क, बीसलपुर रोड, बरेली – 243006 (उ.प्र.)
26, Green Park, Beesalpur Road, Bareilly - 243006 (U.P.)
फोन/Tel. +91-581-2523752 ई-मेल E-mail bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com वेब www.nhai.org

No. 10004/18/2021/PIU-Brly/15454

12.03.2022

To,

Sh. Dharampal Gupta
General Manager - Projects CGD UP Cluster,
Hindustan Petroleum Corporation Limited
City Gas Distribution, UP & UK Cluster
1st & 2nd Floor, Mahalaxmi Towers, 112 Civil Lines, Bareilly - 243001

Sub: Permission for laying Natural Gas Pipeline with OFC along/across NH-30 from Km. 294.315 to Km. 340.450 at different stretches in the State of Uttar Pradesh.

Ref:
1. M/s HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/NH 30/NOC dated 10.03.2022.
2. This office letter no. 10004/18/2021/PIU-Brly/15429 dated 10.03.2022.
3. RO-W-UP, NHAI, Lucknow letter no. 19001/1/RO-W-UP/NH-24/UG/HPCL/NOC/1223 dated 02.03.2022.

Sir,

In reference of RO-W-UP letter dated 02.03.2022 referred 3 above, vide which the approval has been accorded by the Competent Authority and authorized the Project Director on behalf of NHAI for signing of License Agreement with the Applicant.

2. In view of the above, the Licensee Agreement has been signed by both the parties on 12.03.2022. A signed copy of agreement is enclosed herewith along with direction to submit the work programme before commencement of work and strictly comply the directions issued in NOC.

3. This issues with the approval of Project Director, PIU-Bareilly.

Encl: As stated above

12/03/22

(Tushar Singh)
Dy. Manager (Tech.)

Copy to: The Regional Office -UP (West), Lucknow - for information

जी.एच.वी. राव
G.H.V RAO
उप महाप्रबंधक-परिचालन व सेवा
Deputy General Manager-Operations and Services

संलग्न-22

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 22

शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिक्रित लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Project

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 23

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर ज़िला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्न 24

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरैली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भुमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

संलग्नक-25

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली NH-30 (चैनज 294.315 कि0 मी0 से 325.00 कि0 मी0 तक दायी तरफ) NH-30 (चैनज 325.00 कि0 मी0 से 341.00 कि0 मी0 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनज 82.810 कि0 मी0 से 114.265 कि0 मी0 तक दायी तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तकके PWD मार्गपर (कुल 3.8 कि0 मी0 पर दायी तरफ), पर जिला शाहजहांपुर मे गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.095 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग मे प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 30

शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Proj...

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

पत्रांक 32 सलग्नक 26.

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद शाहजहाँपुर में एन0एच0–30 (किमी0 294.315 से किमी0 325.00) एन0एच0–30 (किमी0 325.00 से किमी0 341.00 तक) लगभग 42.905 किमी0 तथा एन0एच0–731 (किमी0 82.810 से किमी0 114.265 तक) जी0आई0सी0 से अटसलिया फाटक पी0 डब्लू डी0 रोड 3.80 किमी0 शाहजहाँपुर रोड पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु संरक्षित वन भूमि ROW से अच्छादित है।

(दिलीप कुमार)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
पुवायाँ

(टी0सी0 पन्त)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
शाहजहाँपुर।